प्रेषक ,

इन्दुबाला कटियार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 06 मार्च, 2020**

विषय :- शीतगृह रहित आलू उत्पादक विकास खण्डों में शीतगृहों की स्थापना को प्रोत्साहन दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-रा0औ0मि0-9743/बजट/2019-20, दिनांक 29.02.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेसर्स न्यू सुपर कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री विकास खण्ड-कादर चौक जनपद बदायूं की स्थापना के संबंध में निर्गत शासनादेश सं0-5/2020-259/58-2020-70/2017 दिनांक 25.02.2020 में उल्लिखित शर्तों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत व्यवस्था की जाती है :-

शासनादेश दिनांक 25.02.2020 में उल्लिखित शर्त	आंशिक संशोधन
बिन्दु सं0-3-उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार से स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार निर्धारित नवीन फन्डिंग पैटर्न के अनुरूप ही अनुमोदित कार्ययोजना के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।	बिन्दु सं0-3-शिथिल किया जाता है।

शासनादेश दिनांक 25.02.2020 के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे। उपरोक्तानुसार अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-15/2020-512(1)/58-2019, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(2) महालेखाकार लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, बदायूं, उत्तर प्रदेश।

(5) कोषाधिकारी, बदायूं, उत्तर प्रदेश।

(6) उप निदेशक उद्यान, बरेली मण्डल, उत्तर प्रदेश।

(7) जिला उद्यान अधिकारी, बदायूं, उत्तर प्रदेश।

(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।

(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in